

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/646

दिनांक - 22/03/18

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 हुसैन पुत्र नगा खां जाति  
तेली निवासी रावतसर दक्षिण  
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 बांकाराम पुत्र तिलोकाराम जाति सुथार निवासी  
डूडियों की ढाणी 2 खुदा बक्स पुत्र हमीरा 3  
अणद खां पुत्र नूरा खां जाति तेली निवासी  
रावतसर दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर 4  
तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 23/2018

दिनांक- 21/03/18

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डूडियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1647/1459 रकबा 06.03 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खडी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक  
07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर  
शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 24/03/18

क्रमांक :- रीडर/2018/647

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित  
करे।
- 2 पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय  
रकड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 हुसैन पुत्र नगा खां जाति तेली निवासी रावतसर दक्षिण तहसील व जिला बाड़मेर।
- 4 विप्रार्थी बांकाराम पुत्र तिलोकाराम वगैराह जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी तहसील  
व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर